(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 653–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 03–12–12 पारित आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 02/अंतरण/2012–13.

रामकली केवट पत्नी नारायण प्रसाद वर्मा,
निवासी ग्राम कनकेसरा, तह0 मऊगंज,
जिला रीवा, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

रामाधार साहू तनय केदारनाथ साहू,
निवासी ग्राम कनकेसरा, तह0 मऊगंज,
जिला रीवा, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री त्रिगुणसेन तिवारी, अभिभाषक – आवेदक
श्री बृजेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 21.4. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 02/अन्तरण/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03–12–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका रामकली केवट व्दारा संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदनपत्र आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष प्रस्तुत कर कलेक्टर, रीवा के समक्ष लम्बित प्रकरण कमांक

165/अ–74/निगरानी/09–10 (रामाधार विरूध्द रामकली) अन्य न्यायालय में अन्तरित करने का अनुरोध किया। आयुक्त, रीवा संभाग ने अपने आदेश दिनांक 03–12–2012 व्दारा यह आवेदनपत्र खारिज किया गया है। अतः आवेदिका व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। विव्दान आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक व्दारा जिन बिन्दूओं को आधार बनाकर प्रकरण अन्तरण की प्रार्थना की गयी है, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कलेक्टर रीवा के न्यायालय व्दारा प्रकरण के विचारित होने में आवेदक को किस प्रकार न्याय नहीं मिलने की संभावना है ? अन्तरण आवेदन में दर्शाये गये समस्त आधार गुण–दोष पर प्रकरण में विचारण एवं तत्संबंधी प्रकिया के बारे में हैं, स्वयं न्यायालय की कार्यप्रणाली पर ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया गया जिससे कि प्रकरण के न्यायोचित निराकरण में व्यवधान अथवा निष्पक्ष निराकरण की प्रकिया में संदेह उत्पन्न होता हों। असमा सुलताना वि. बाबूलाल (1990 रा.नि. 56) में मान. जस्टिस एस.के.दुबे ने यह व्यवस्था दी है कि मामले के गुणागुण पर मामले के अन्तरण करने के प्रश्न पर कोई कोई टीका–टिप्पणी नहीं की जाना चाहिये। ऐसी दशा में अन्तरण आवेदनपत्र में उठाये गये सभी बिन्दू विधि एवं प्रकिया तथा प्रकरण के गुण–दोष के संबंधित होने से विव्दान आयुक्त व्दारा आवेदिका का अन्तरण आवेदनपत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 03–12–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0